

**फर्द अहकाम**  
**अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा )**  
**मीठालाल बनाम जसोदा वगै०**

किस्म मुकदमा

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मु.न.

50 / 2024

रीख हुकम		नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
----------	--	--

05.2024

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र मय दस्तावेजों की नकलो की छाया प्रतिया संलग्न कर जरिये प्रार्थी अधिवक्ता श्री सी०एल० मीना एड० द्वारा पेश किया गया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की प्रा० अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतरिम अनुतोष पर एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस का मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों की छायाप्रतियों का अवलोकन किया गया हमने प्रथम दृष्टया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस से संतुष्ट होकर यह पाया कि प्राईमा फेसी केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थीगणों को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को इस आशय कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम गूजर बैराडा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 473, 435, 451, 453, 454, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 525, 526, 527, 528 में आगामी आदेश तक राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाएं रखें। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार तामील अप्रार्थीगण दिनांक 15.07.2024 को पेश हो।

**उपखण्ड अधिकारी**  
**सिकराय (दौसा)**

पत्रावली पेश हुवे वकीलो द्वारा कथित शपथ/प० को राज्य कार्य में लागू करे पर होम के जम्बरल तारीख को लगा दी गई पत्रावली दिनांक को पेश हो।

15/7/24

6/8/24

मूल वाद में प्राप्य मिल वलबी एवं अप्य किडी हेडु पेश किए जाने पर मूल वाद के साथ पत्रावली तुलब की गई। वतलिए प्राप्य अस्थाई निषेध खादिय किमा जात की मुकः ते मूल वाद को खादिय किमा जात का है वतलिए अप्य अस्थाई निषेध खादिय किमा जात की पत्रावली फेसल शुका होकर नम्बर की मुक है।



मीठालाल

**उपखण्ड अधिकारी**  
**सिकराय (दौसा)**